

**कर-राजस्व
निगम कर**

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(क) साधारण संग्रहण	34332.00	39448.00	42458.00
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	49889.00	37448.00	52592.00
(ग) अधिभार	2148.00	1872.00	9505.00
(घ) शिक्षा अधिभार	1590.00	1535.00	2169.00
(ङ) विविध प्राप्तियां	477.00	2697.00	3849.00
जोड़	88436.00	83000.00	110573.00

निगम-कर से भिन्न आय पर कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(क) साधारण संग्रहण	22939.00	39204.00	48773.00
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	23365.00	9801.00	12193.00
(ग) अधिभार	1390.00	675.00	748.00
(घ) शिक्षा अधिभार	920.00	994.00	1234.00
(ङ) विविध प्राप्तियां	2315.00	255.00	291.00
(च) अन्य कर	3000.00
जोड़	50929.00	50929.00	66239.00

धन कर

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था। शेयरों, बैंक में जमा राशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था और यह केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाऊस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि जैसी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाता है। धनकर उस राशि, जिससे निवल धन पंद्रह लाख रुपए से अधिक हो जाती है, के 1% की दर पर प्रभार्य है।

धन-कर के संबंध में 2004-2005 के बजट अनुमान में 265 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

सीमा शुल्क

2004-2005 के लिए सीमा शुल्क राजस्व 56250 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा 2005-2006 के लिए अनुमान 53182 करोड़ रुपए है। अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
(i) आयात शुल्क	53715.00	55470.00	52178.00
(क) बुनियादी शुल्क	33206.00	32186.00	27636.00
(ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	19386.00	22110.00	23110.00
(ग) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)	...	35.00	...
(घ) मोटर स्प्रीट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	2.00
(ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	6.00	14.00	14.00
(च) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	365.00	365.00	372.00
(छ) शिक्षा अधिभार	750.00	760.00	1046.00
(ii) निर्यात पर उपकर	180.00	165.00	208.00
(iii) अन्य प्राप्ति	355.00	615.00	796.00
जोड़	54250.00	56250.00	53182.00

सीमा-शुल्क के विभिन्न संघटकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) **आयात शुल्क** :- 53715 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 2004-2005 का संशोधित अनुमान 55470 करोड़ रुपए आंका गया है। वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान 52178 करोड़ रुपए रखा गया है।

(क) **बुनियादी शुल्क** : वर्ष 2004-2005 के दौरान बुनियादी सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 32186 करोड़ रुपए है। वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान 27636 करोड़ रुपए रखा गया है जो कृषि-भिन्न सामान पर शीर्ष दर कटौती सहित सीमा शुल्क में कमी के कारण है।

(ख) **अतिरिक्त सीमा शुल्क** : वर्ष 2004-2005 के दौरान अतिरिक्त सीमा शुल्क से सामान्यतया प्रतिकर शुल्क (सीवीडी) के रूप में जानी जाने वाली प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 22110 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान में यह राशि 23110 करोड़ रुपए रखी गई है।

(ग) **विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क** : वर्ष 2004-2005 के दौरान विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 35 करोड़ रुपए होना संभावित है। 2005-06 के बजट अनुमान में शून्य है क्योंकि 9.1.2004 से अतिरिक्त सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) **हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क**: वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमान 14 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। 2005-06 के बजट अनुमान 14 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

(च) **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क** : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 2004-2005 में 365 करोड़ रुपए के एवज में इतने ही के प्रत्याशित राजस्व संग्रहण की संभावना है। वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमान में 372 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

(छ) **शिक्षा उपकर** : वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से प्रभार्य शिक्षा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व 750 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के एवज में 760 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2005-06 के लिए बजट अनुमान 1046 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ii) **निर्यात पर उपकर** : वर्ष 2004-2005 के लिए निर्यात पर उपकर के संशोधित अनुमान 165 करोड़ रुपए अनुमानित हैं और 2005-06 के लिए बजट अनुमान 208 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

(iii) **अन्य प्राप्ति** :- सीमा शुल्क विभाग की अन्य प्राप्ति के खाते में संग्रहण 2004-05 के संशोधित अनुमान में 615 करोड़ रुपए अनुमानित हैं और 2005-06 के बजट अनुमान में 796 करोड़ रुपए हैं।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। 2004-2005 के दौरान 100720 करोड़ रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में 109199 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जो 8479 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है। 2005-2006 में 121533 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। निम्नलिखित सारणी में उत्पाद-शुल्क राजस्व का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
उत्पाद शुल्क			
1. (क) बुनियादी और विशेष			
उत्पाद शुल्क (ख) और (ग) को छोड़कर	80526.00	71825.00	86901.00
(ख) मोटर स्प्रीट पर उपकर	1648.00	1758.00	2434.00
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क	6634.00	7399.00	9948.00
जोड़	88808.00	80982.00	99283.00

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
2. वस्त्रों और वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	451.00	100.00	...
3. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	3106.00	2933.00	3117.00
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	1769.00	1675.00	1843.00
5. पेट्रोल पर अधिभार	6592.00	7032.00	7302.00
6. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	700.00
7. निम्नलिखित द्वारा प्रशासित उपकर			
(i) राजस्व विभाग			
(क) चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	80.00	69.00	...
(ख) शिक्षा अधिभार	1500.00	1556.00	2198.00
(ग) (क), (ख) को छोड़कर राजस्व विभाग द्वारा	6194.00	5653.00	6325.00
जोड़ (क+ख+ग)	7774.00	7278.00	8523.00
(ii) अन्य विभागों द्वारा प्रशासित अधिभार	699.00	720.00	765.00
कुल उपकर (i+ii)	8473.00	7998.00	9288.00
जोड़	109199.00	100720.00	121533.00

(i) बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क (जिसमें मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है) के 80526 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 2004-2005 के लिए 71825 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान रखा गया है। 2005-2006 के लिए बजट अनुमान 86901 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ii) "मोटर स्पिरिट पर उपकर" के कारण 2004-05 के लिए बजट अनुमान 1648 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान 1758 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2005-06 के लिए बजट अनुमान 2434 करोड़ रुपए है।

(iii) "हाई स्पीड डीजल आयल पर उपकर" के कारण 2004-05 के लिए बजट अनुमान 6634 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान 7399 करोड़ रुपए है। 2005-06 के लिए बजट अनुमान 9948 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(iv) सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क नामक लेवी के कारण 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 1769 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान 1675 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान 1843 करोड़ रुपए रखा गया है।

(v) पेट्रोल पर लगाए गए अधिभार के कारण वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 6592 करोड़ रुपए संशोधित अनुमान 7032 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान 7302 करोड़ रुपए रखा गया है।

(vi) "चाय और चाय अपशिष्ट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" की लेवी के कारण वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान में 80 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान में 69 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट अनुमान 2005-06 में इसे शून्य करोड़ रुपए रखा गया है।

(vii) "शिक्षा अधिभार" के मद में 2004-05 के बजट अनुमान में 1500 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान 1556 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2005-06 के लिए बजट अनुमान 2198 करोड़ रुपए है।

(viii) पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर प्रस्तावित अधिभार के कारण 2005-06 के लिए बजट अनुमान 700 करोड़ रुपए रखा गया है।

सेवा कर

14150 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2004-2005 का संशोधित अनुमान 14150 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2005-2006 का बजट अनुमान 17,500 करोड़ रुपए है। शिक्षा उपकर के कारण 2004-05 के लिए संशोधित अनुमान बजट अनुमान के 150 करोड़ रुपए की तुलना में 165 करोड़ रुपए रखा गया है। 2005-06 के लिए शिक्षा उपकर के लिए बजट अनुमान 328 करोड़ रुपए अनुमानित है। नई सेवाओं पर सेवा कर के कारण 2005-06 के लिए 350 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
1 टेलीफोन	3518.00	4470.00	5186.00
2 बीमा	1278.00	1399.00	1623.00
3 दलाली	307.00	679.00	788.00
4 बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं	377.00	606.00	703.00
5 कूरियर	280.00	543.00	630.00
6 पत्तन सेवा	441.00	526.00	610.00
7 बीमा सहायक सेवा जीवन बीमा के संदर्भ में	394.00	491.00	549.00
8 परामर्शी इंजीनियर	345.00	441.00	490.00
9 प्रसारण सेवा	219.00	300.00	479.00
10 व्यापार सहायक सेवा	95.00	268.00	436.00
11 बीमा सहायक सेवा	335.00	369.00	408.00
12 प्रबंध परामर्श सेवा	151.00	311.00	346.00
13 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	140.00	303.00	334.00
14 विज्ञापन	277.00	278.00	309.00
15 रख रखाव या मरम्मत	173.00	249.00	277.00
16 सुरक्षा/गुप्तचर एजेंसी सेवा	147.00	185.00	206.00
17 मोटर कार आदि के लिए प्राधिकृत सर्विस स्टेशन	97.00	130.00	203.00
18 क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट सेवा	143.00	157.00	174.00
19 ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस अभिगम्यता सेवाएं	84.00	133.00	148.00
20 लीज्ड सर्किट सेवा	95.00	127.00	141.00
21 हवाई यात्रा एजेंट सेवा	107.00	124.00	137.00
22 वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग	57.00	101.00	112.00
23 अन्य सेवाएं	4940.00	1795.00	2533.00
24 नई सेवाएं	350.00
25 शिक्षा अधिभार	150.00	165.00	328.00
जोड़	14150.00	14150.00	17500.00

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	बजट	संशोधित	(करोड़ रुपए)
	2004-2005	2004-2005	बजट 2005-2006
भू-राजस्व	1.92	1.92	1.93
स्टाम्प और पंजीकरण	33.92	38.26	38.86
राज्य उत्पाद शुल्क	115.01	120.76	124.46
बिक्री कर	430.00	502.00	522.00
वाहनों पर कर	27.12	27.60	28.20
सामान और यात्रियों पर कर	4.65	4.80	5.21
बिजली पर कर और शुल्क	7.50	7.60	8.00
अन्य कर और शुल्क	3.90	3.56	3.86
जोड़	624.02	706.50	732.52